मुख्यमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान

का

गणतंत्र दिवस संदेश

26 जनवरी 2021

प्रिय भाइयों और बहनों,

भारतीय गणराज्य के 72वें गणतंत्र-दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश की 8 करोड़ जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। ये समय है न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता के प्रतिबिंब भारतीय संविधान के लागू होने पर हर्षित होने का। ये प्रसंग है संविधान-निर्माता डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर एवं संविधान-सभा के सभी सम्मानीय सदस्यों के योगदान के प्रति गर्वित होने का। ये अवसर है देश के अमर शहीदों के बलिदानों का स्मरण कर अश्रुपूरित होने का। ये दिवस है अधिनियमित संविधान के प्रति पूरी आस्था के साथ आत्मार्पित होने का।

ये हमारा सौभाग्य है कि हम सभी उस कालखंड के साक्षी हैं, जब भारत के स्वतंत्रता-दिवस और गणतंत्र-दिवस दोनों की 75वीं वर्षगाँठ की आनंदकारी बेला निकट है। यदि स्वतंत्रता देह है तो गणतंत्र उसकी आत्मा है। यदि स्वतंत्रता पुष्प है तो गणतंत्र उसकी सुगंध।

यदि स्वतंत्रता साधन है तो गणतंत्र उसका साध्य। यदि स्वतंत्रता उड़ान है तो गणतंत्र उसका विधान और यदि स्वतंत्रता साधना है तो गणतंत्र उसकी सार्थकता। स्वतंत्रता और गणतंत्र दोनों का अंतिम उद्देश्य एकता-अखण्डता, समावेशी विकास तथा लोक-कल्याण है। हमारी सरकार ने विगत 10 माह में लोकतंत्र के इन्हीं लक्ष्यों को धरातल पर उतारने का प्रतिदिन, प्रतिपल पुरजोर प्रयास किया है।

शत-शत आघातों को सहकर, जीवित हिन्दुस्तान हमारा।

जग के मस्तक पर रोली-सा, शोभित हिन्दुस्तान हमारा।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, राज्य सरकार के युद्ध स्तर पर किए गए कर्मठ प्रयासों और प्रदेश के नागरिकों के अपार सहयोग की बदौलत प्रदेश कोरोना का दृढ़ता से मुकाबला कर अब इस महामारी पर विजयश्री की ओर अग्रसर है। कोरोना के रूप में एक ऐसी बीमारी से हम सबका सामना हुआ, जिसके विषय में पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी। हमें एक अनदेखे और अनजाने शत्रु से जंग लड़ना थी। ऐसे कठिन समय में जबकि पूरा विश्व कोरोना संकट की चपेट में था, माननीय प्रधानमंत्री जी के त्वरित, साहसी एवं दूरदर्शी फैसलों ने पूरे देश को इस बीमारी से लड़ने का एक नया हौसला दिया।

श्री नरेन्द्र मोदी जी के ''जान है तो जहान है'' के आह्वान के साथ सही समय पर लॉकडाउन के ऐलान से जहाँ लाखों नागरिकों के प्राणों की रक्षा संभव हुई, वहीं ''जान भी रहे और जहान भी'' के नारे की बदौलत देश के आम आदमी की आजीविका भी सुरक्षित रही। ''जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं'' के सूत्र से लेकर ''दवाई भी और कड़ाई भी'' के मंत्र तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने सम्पूर्ण जगत के समक्ष महामारी के रूप में आई आपदा के प्रबंधन का अद्‌भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है।

हमारी सरकार ने शपथ लेते ही कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिना एक भी पल गवाएं द्रुत गति से कार्य करना प्रारंभ किया। मार्च 2020 के उस कठिन समय में कोविड-19 को लेकर प्रदेश में अनेक चुनौतियाँ मुँह बाँये खड़ी थीं। चारों ओर भय, अनिश्चितता, निराशा एवं आशंकाओं का वातावरण था। सरकार ने दो मोर्चों पर एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया-पहला, कोरोना आपदा प्रबंधन और दूसरा, अर्थ-व्यवस्था का प्रबंधन। प्रदेश में आईडेन्टीफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट (आई. आई. टी. टी.) की रणनीति पर बल देते हुए ''किल-कोरोना महाअभियान'' चलाया गया।

इसके अंतर्गत राज्यव्यापी कान्टेक्ट ट्रेसिंग तथा सामुदायिक सर्वेक्षण के आधार पर संक्रमितों एवं उनके संपर्क में आए संभावित संक्रमितों की पहचान की गई ताकि ऐसे व्यक्तियों को क्वारेंटाईन कर संक्रमण के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। मुख्यमंत्री के स्तर पर कोविड की स्थिति की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कोविड संक्रमण प्रभावितों के उपचार के लिए सेम्पलिंग, टेस्टिंग, पी.पी.ई. किट, ऑक्सीजन, बेड्स आदि की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी का परिणाम था कि मार्च, 2020 में जहाँ राज्य की टेस्टिंग क्षमता मात्र 300 और टेस्टिंग लेब की संख्या 3 थी, वहीं वर्तमान में यह क्षमता बढ़कर क्रमश: लगभग 54 हजार और 32 हो गई है। मार्च, 2020 में प्रदेश में कोविड हेतु 2 हजार 428 जनरल बेड्स, 230 आक्सीजन बेड्स और 537 आई.सी.यू. बेड्स उपलब्ध थे, जो अब बढ़कर 5 हजार 204 जनरल बेड्स, 9 हजार 565 ऑक्सीजन बेड्स और 3 हजार 837 आई.सी.यू. बेड्स हो गए हैं। इसी प्रकार 10 माह पूर्व पी.पी.ई. किट्स की उपलब्धता लगभग 18 हजार और टेस्टिंग किट की उपलब्धता मात्र 620 ही थी, जबकि वर्तमान में हमारे पास 3 लाख 52 हजार से अधिक पी.पी.ई. किट्स एवं लगभग 2 लाख 42 हजार टेस्टिंग किट उपलब्ध हैं।

कोविड के गंभीर संक्रमण के इलाज में ऑक्सीजन की अहम भूमिका है और हमारी सरकार के प्रयासों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए मध्यप्रदेश की अन्य राज्यों पर निर्भरता समाप्त होने में मदद मिली है।

मध्यप्रदेश में अस्पताल प्रबंधन पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है। प्रदेश में कोविड नियंत्रण कार्य में आवश्यकतानुसार निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया। उन्हें कोविड अस्पताल घोषित करते हुए संक्रमित मरीजों को उपचार की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। अस्पतालों का भार कम करने एवं कोविड लक्षणों के आधार पर संभावित मरीजों की शीघ्र पहचान के लिए प्रदेश में 707 फीवर क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में शासकीय चिकित्सालयों में अधोसंरचनाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। लगभग 64 करोड़ रुपये की लागत से कोविड गहन चिकित्सा इकाइयों की स्थापना, मेडिकल गैस पाइप लाईन के विस्तार, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, केन्द्रीयकृत ऑक्सीजन पाईप लाइन प्रणाली तथा ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता आदि प्रमुख कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

भारत सरकार के मार्गदर्शन, राज्य सरकार के प्रयास, स्वास्थ्य अमले की कर्मठता, फ्रण्ट लाईन वर्कर्स के परिश्रम और समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सतत सहयोग के बलबूते पर मध्यप्रदेश कोरोना से जंग में जीत की ओर अग्रसर है। वर्तमान में जहाँ एक ओर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण से रिकवरी दर लगभग 96.5 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.5 प्रतिशत से भी कम हो गई है, वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्रीजी के मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े कोविड-टीकाकरण अभियान के प्रारंभ होने से आशा की नई किरणों का संचार हुआ है। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का कार्य मध्यप्रदेश में सुनियोजित रणनीति के साथ प्रारंभ हो चुका है। सबका साथ और सबका विश्वास पाकर मध्यप्रदेश कोविड से मुक्ति की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

जहाँ तक अर्थ-व्यवस्था एवं आजीविका का प्रश्न है, राज्य सरकार ने विगत 10 माह में इस मोर्चे पर भी प्रभावी ढंग से कार्य किया है। लॉकडाउन के दौरान लगभग 14 लाख 98 हजार प्रवासी श्रमिक मध्यप्रदेश लौटकर आए और बड़ी संख्या में अन्य श्रमिकों द्वारा मध्यप्रदेश से होकर अपने गृह राज्य के लिए आवागमन किया गया।

प्रवासी श्रमिकों को राज्य का अतिथि मानकर उनकी स्क्रीनिंग, भोजन, रोज़गार, राशन, विश्राम, पेयजल, दवा, स्वास्थ्य परीक्षण तथा परिवहन आदि के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई सुनियोजित एवं संवेदनशील पहल की देशभर में सराहना हुई है। शासन-प्रशासन के साथ ही प्रदेश के समाजसेवी संगठनों, गणमान्य नागरिकों और आम जनता ने भी मानवता की मिसाल पेश करते हुए प्रवासी श्रमिकों के लिये अपने हृदय के द्वार खोल दिए। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना लागू कर 1 लाख 55 हजार श्रमिकों के खातों में 15 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि अंतरित की है। प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े श्रम-सिद्धि अभियान के माध्यम से अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिये रोज़गार उपलब्ध कराया गया है। कुशल प्रवासी श्रमिकों को स्थाई रोज़गार प्रदान करने के लिये रोज़गार सेतु पोर्टल प्रारंभ किया गया है।

कोरोना काल में गरीबों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार हर समय संवेदनशील रही है।

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, आहार अनुदान योजना, संबल योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति भुगतान, खाद्य सुरक्षा भत्ता, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा राशि, प्रतिभा प्रोत्साहन राशि, फसलों के नुकसान एवं कीट व्याधि की राहत राशि, आवास योजना की राशि, स्व-सहायता समूहों को ऋण राशि, पथ विक्रेता योजना की ऋण राशि तथा फसल उपार्जन की राशि सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में अंतरित की गई है। शहरी महिला उद्यमियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क उपलब्ध कराने हेतु जीवन-शक्ति योजना एवं जन-जन तक रोग प्रतिरोधक काढ़े एवं औषधियों के नि:शुल्क प्रदाय की जीवन-अमृत योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गईं। गेहूँ, धान एवं अन्य फसलों के उपार्जन के कार्य का प्रबंधन इतनी कुशलता और सजगता के साथ किया गया कि इस कार्य के दौरान किसान अथवा अन्य अमला कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ।

कोरोना काल में विगत 10 माह में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अमले, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, राजस्व प्रशासन एवं अन्य सभी शासकीय कर्मियों ने अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए सच्चे कर्मयोगी की भांति अपने सेवाएं दी हैं। जनता को संक्रमण से सुरक्षित रखने एवं उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में सम्पूर्ण प्रशासन तंत्र ने जिस परिश्रम और लगन के साथ कार्य किया है, उसके लिए वे निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। उनकी यह कर्त्तव्यनिष्ठा प्रणम्य है। प्रदेश के नागरिकों के कोविड संक्रमण उपचार के दौरान जान की बाजी लगाकर कार्य करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले कोविड योद्धाओं के चरणों में कोटि-कोटि नमन। राज्य सरकार द्वारा कोविड योद्धा कल्याण योजना के अन्तर्गत अब तक 26 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 13 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष में प्रदेश की जनता ने जिस असाधारण संयम, साहस और अनुशासन के साथ राज्य सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है वह निश्चित ही बेमिसाल है। कोविड काल में नि:स्वार्थ सेवा, त्याग और बलिदानों का नया इतिहास लिखने के लिए मैं प्रदेश के जन-जन का अभिनन्दन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी मेन ऑफ आइडियाज़ हैं, जो आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। कोरोना के कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे लड़ने के लिए देश को एक अभिनव अस्त्र दिया-आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर-भारत की अवधारणा दरअसल कोविड से उपजे बहुआयामी संकटों को समाधान में बदलने की एक क्रांतिकारी पहल है। मुझे आपको अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भर-भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर-मध्यप्रदेश के रोडमैप को निर्मित कर इसे लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। नीति आयोग, भारत सरकार के सहयोग से निर्मित आत्मनिर्भर-मध्यप्रदेश का रोडमैप-सुशासन, भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अर्थ-व्यवस्था एवं रोज़गार-इन चार स्तंभ पर आधारित है। रोडमैप में वर्णित लक्ष्यों की समय-सीमा में प्राप्ति हेतु भोपाल से लेकर चौपाल तक एक सुदृढ़ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र आत्मनिर्भर पोर्टल व डैशबोर्ड के रूप में विकसित किया गया है। आत्मनिर्भर-मध्यप्रदेश के रोडमैप के अन्तर्गत विभागों के मध्य परस्पर समन्वय एवं सहभागिता से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्विभागीय मंत्रि-समूहों का गठन किया गया है।

आत्मनिर्भर-मध्यप्रदेश के निर्माण हेतु निर्धारित प्रत्येक आऊटपुट एवं आऊटकम लक्ष्यों को उपलब्धि में परिवर्तित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता एवं प्रतिबद्धता है।

मध्यप्रदेश की सरकार आम जनता की सरकार है और जनता की सेवा ही सरकार के लिए ईश्वर की सेवा के समान है। हमारी सरकार का एक ही मंत्र है- सज्जनों के लिए फूल से भी कोमल बनो और दुष्टों के लिए वज्र से भी कठोर। प्रदेश की जनता को कष्ट देने वाले, लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करने वाले, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को खोखला करने वाले, जनता को झाँसा देकर लूटने वाले, मासूम बेटियों की जिन्दगी तबाह करने वाले, कानून को हाथ में लेकर लोगों का हक छीनने वाले और अवैध तथा काला कारोबार करने वाले असामाजिक तत्वों से सरकार पूरी सख्ती से निपटेगी।

विगत 10 माह में भू-माफिया, अतिक्रमण माफिया, ड्रग-माफिया, शराब-माफिया, गुटखा-माफिया, रेत-माफिया, चिटफंड-माफिया, साईबर-माफिया, मिलावट-माफिया, राशन-माफिया, चिन्हित अपराधी, हिस्ट्रीशीटर, बदमाश तथा महिलाओं और बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वाले-इन सभी प्रकार के माफिया को नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में बड़ी और कड़ी कार्यवाहियाँ की गई हैं।

एक अप्रैल 2020 से अब तक 793 भू-माफियाओं पर कार्यवाही की जाकर अरबों रुपये मूल्य की 921 हेक्टेयर शासकीय भूमि, अतिक्रमण-मुक्त करायी गयी है। इसी अवधि में चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी से पीड़ित एक लाख 23 हजार से अधिक निवेशकों को लगभग 680 करोड़ रुपये की राशि वापस करायी गई है। प्रदेश में अवैध रेत-उत्खनन में लिप्त 3 हजार 200 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉले, एक हजार 300 से अधिक डंपर एवं ट्रक तथा 111 जेसीबी आदि जब्त किए गए हैं। प्रदेश में शराब-माफिया के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 11 करोड़ रुपये मूल्य की 4 लाख 05 हजार लीटर अवैध शराब तथा इसके परिवहन में प्रयुक्त 206 चार पहिया वाहन और 354 दुपहिया वाहन जप्त किये गये हैं।

मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत मिलावटखोरों तथा नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वाले 20 कारोबारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है तथा 144 मिलावटखोरों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। खाद्य सामग्री में मिलावट करने के दोषियों पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दंड विधान में संशोधन कर 6 माह के कारावास की सजा के स्थान पर अब आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।

असामाजिक तत्वों और नियम-कानूनों को ताक पर रखने वालों पर बड़ी और कड़ी कार्यवाही दरअसल लोकतंत्र और जनता की जीत है। ये कार्यवाहियाँ निरंतर जारी रहेंगी और सरकार माफिया को मिटाकर ही दम लेगी।

मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 9 जनवरी, 2021 से प्रभावशील हो गया है। इसके अंतर्गत जबरन, भयपूर्वक, डरा-धमकाकर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर, धोखा देकर, झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराने एवं विवाह करने तथा करवाने वालों के विरुद्ध कड़ी सजा एवं जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है जहाँ मासूम बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले को फाँसी दिए जाने का प्रावधान किया गया। वर्ष 2020 में नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार और हत्या के मामलों में 5 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।

प्रदेश की बेटियों के अपहरण एवं गुमशुदगी की घटनाओं को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 4 हजार से अधिक गुमशुदा बेटियों को दुष्टों के चंगुल से छुड़ाया गया है। राज्य सरकार की त्वरित एवं सख्त कार्यवाही की बदौलत प्रदेश में अप्रैल से दिसम्बर, 2020 के मध्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 15 प्रतिशत की कमी आई है।

महिला-अपराधों के विरुद्ध सामाजिक जन-चेतना लाने तथा महिला-सुरक्षा एवं साईबर सुरक्षा के उद्देश्य से जन-जागरण हेतु ''सम्मान'' अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत जनता के बीच से उन असली हीरोज की भी पहचान की जाएगी, जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

आत्मनिर्भरता की भव्य इमारत, सुशासन की नींव पर टिकी है। प्रदेश के नागरिकों के काम सरलता से, सुविधापूर्ण ढंग से हों, उन्हें अपने कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़े और बिना किसी कठिनाई के ईमानदारी से उन्हें सरकारी सेवाएँ एवं लाभ प्राप्त हों-यही सुशासन का केन्द्र-बिन्दु है। सुशासन को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2020 से टोल फ्री नंबर 181 पर सी.एम. जन-सेवा प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत मोबाईल फोन पर आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र तथा चालू खसरे, खतौनी व नक्शे की नकल प्रदाय की सेवाएँ प्रदान करना प्रारंभ कर दिया गया है। सी.एम. जन-सेवा के माध्यम से अब तक कुल 7 हजार 300 से अधिक नागरिकों को फोन कॉल पर लोक सेवाएँ प्रदाय की जा चुकी हैं।

राज्य सरकार द्वारा लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी कानून में संशोधन कर अब ''डीम्ड सेवा'' का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत चिन्हित सेवाओं के लिए यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में आवेदक को न तो सेवा प्रदान की जाती है और न आवेदन का अन्यथा निराकरण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त सेवा पोर्टल से स्वत: जनरेट होकर उसका दस्तावेज डिजिटल स्वरूप में आवेदक को प्राप्त हो जाएगा। विगत 10 माह में 100 से अधिक नवीन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाया गया है।

नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के प्रभावी निराकरण का सशक्त स्त्रोत रही जन-सुनवाई एवं समाधान ऑनलाईन की व्यवस्था को पुन: प्रारंभ कर दिया गया है। सरकार की देश-विदेश और प्रदेश स्थित बहुमूल्य परिसम्पत्तियों के संरक्षण, उपयोग एवं प्रबंधन हेतु लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश में सिंगल सिटीजन डेटा-बेस एवं सिंगल सर्विस डिलेवरी पोर्टल के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में भी सुशासन की अहम भूमिका है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आवश्यक स्वीकृतियाँ यथासमय जारी कर निवेश हेतु सकारात्मक वातावरण के निर्माण में प्रदेश अग्रणी रहा है। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर-मध्यप्रदेश के अंतर्गत ''स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज'' की अवधारणा को मिशन मोड में लागू किया जायेगा।

भौतिक अधोसंरचना का निर्माण एवं संधारण, आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। सरकार द्वारा प्रदेश में अधोसंरचना का जाल बिछाने की दिशा में बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक हजार 796 किलोमोटर लंबी नई सड़कों, एक हजार 856 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का नवीनीकरण, 12 नवीन वृहद पुल तथा 435 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। चंबल क्षेत्र के भविष्य की जीवन-रेखा ''अटल प्रोग्रस-वे'' के निर्माण की डीपीआर तैयार करने हेतु निविदा जारी कर दी गई है तथा इस कॉरिडोर में रोज़गार एवं निवेश की कार्य-योजना बनाने हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है।

इसी प्रकार मध्यप्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ने वाले एक हजार किलोमीटर लंबाई के ''नर्मदा एक्सप्रेस-वे'' को भी आकार दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी टोल प्लाजाओं को कम्प्यूटरीकृत एवं स्वचालित किए जाने के लिए कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। प्रदेश की सड़कों एवं पुलों के बेहतर संचालन, संधारण के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित रोड एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम एवं वर्क मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर स्थापित किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में लगभग एक हजार 209 करोड़ रुपये की लागत से एक हजार 548 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों तथा 139 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कोरोना-काल के बावजूद हमने लक्षित मार्ग निर्माण की लंबाई, ग्रीन टेक्नालॉजी द्वारा निर्मित सड़क मार्ग एवं सड़कों के संधारण हेतु ई-पोर्टल के क्रियान्वयन-इन तीनों क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

राज्य सरकार प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्रफल को वर्ष 2024-25 तक 40 लाख हेक्टेयर से 65 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए संकल्पित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग एक लाख 25 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। प्रदेश में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 27 वृहद, 47 मध्यम व 217 लघु सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लागत 61 हजार करोड़ रुपये तथा सिंचाई क्षमता लगभग 23 लाख हेक्टेयर से अधिक है। इन निर्माणाधीन योजनाओं से अब तक लगभग 4 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई सुविधा विकसित की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत प्रदेश के 5 जिलों में एक हजार 706 करोड़ रुपये की लागत से भू-जल स्त्रोतों से लघु और सीमांत कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। अटल भू-जल योजना अंतर्गत बुंदेलखण्ड क्षेत्र के 9 विकासखंड की 678 ग्राम पंचायतों हेतु 314 करोड़ रुपये से अधिक की योजना स्वीकृत की गई है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में भू-जल स्तर में सुधार, पेयजल सुविधा और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बहनों की एक पीड़ा यह थी कि उन्हें पीने का पानी भरकर लाने के लिये अपने घर से दूर हेण्डपम्प, कुएं, नदी, तालाब, बावड़ी अथवा अन्य जल-स्त्रोतों तक पैदल जाना पड़ता था।

अभी तक इस कार्य में उनका अधिकांश समय, ऊर्जा और संसाधन खर्च हो जाया करते थे लेकिन अब यह परिदृश्य बदलने लगा है, क्योंकि सरकार ने हर घर तक नल से पीने का पानी पहुँचाने का संकल्प लेकर ग्रामीण क्षेत्र के कायाकल्प का बीड़ा उठाया है। जल-जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 1 करोड़ 21 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2020-21 में 26 लाख से अधिक घरेलू नल-कनेक्शन स्थापित करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 13 लाख 50 हजार से अधिक कनेक्शन स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार द्वारा विगत 10 माह में 4 हजार 742 करोड़ से अधिक की लागत की 7 हजार 904 एकल ग्राम नल-जल योजनाएँ तथा 6 हजार 126 करोड़ की लागत से 11 समूह जल प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत की गईं, जिससे प्रदेश के लगभग 12 हजार ग्राम लाभान्वित होंगें। सभी स्कूलों एवं आँगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय करने के 100 दिवसीय अभियान के तहत प्रदेश में अब तक लगभग 13 हजार शालाओं और 6 हजार 250 आँगनवाड़ियों में नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है।

मध्यप्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। दिसंबर, 2020 की स्थिति में प्रदेश की विद्युत क्षमता 21 हजार 361 मेगावॉट हो गई है। विगत 10 माह में सरकार ने प्रदेश में कृषि, उद्योग, व्यावसायिक एवं घरेलू-सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कमी नहीं आने दी और बिजली की पर्याप्त व निर्बाध आपूर्ति बनी रही। 31 दिसंबर, 2020 को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 15 हजार 425 मेगावॉट माँग की पूर्ति की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में विद्युत क्षमता में 1426 मेगावॉट की वृद्धि का लक्ष्य है। प्रदेश की वर्तमान ट्रांसमिशन क्षमता 18 हजार 300 मेगावॉट है और सरकार के सुप्रबंधन के परिणामस्वरूप पारेषण हानियाँ घटकर मात्र ढ़ाई प्रतिशत रह गई हैं, जो पूरे देश की न्यूनतम पारेषण हानियों में से एक है।

वर्तमान रबी सीजन में कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय अधिक विद्युत प्रदाय करने हेतु फ्लेक्सी प्लान लागू किया गया। इसके साथ ही कृषि कार्य हेतु फ्लैट दरों पर विद्युत प्रदाय के फलस्वरूप 22 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन को देखते हुए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है।

किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शनों पर 14 हजार 244 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले तथा एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 8 लाख अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

नवकरणीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा के वैकल्पिक तथा पर्यावरण हितैषी स्त्रोत के अधिकतम उपयोग की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक लगभग 4 हजार 250 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 750 मेगावाट की रीवा सोलर पॉवर प्लांट परियोजना में पूर्ण क्षमता से उत्पादन प्रारंभ हो गया है। प्रदेश के ओंकारेश्वर में 600 मेगावॉट की विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट परियोजना विकसित की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के आगर, नीमच, शाजापुर, छतरपुर, सागर और मुरैना में भी 4 हजार 500 मेगावॉट के सोलर पार्क विकसित किए जायेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत 23 हजार 508 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। राज्य में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए कार्यों से प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ 41 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साईड का उत्सर्जन रोका जा सका है, जो लगभग 43 करोड़ वृक्ष लगाने के बराबर है।

नर्मदा घाटी में लगभग 22 हजार करोड़ रुपये लागत की 10 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका निर्माण पूर्ण होने पर 5 लाख 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी और 225 मेगावॉट विद्युत उत्पादन होगा। सरकार, नर्मदा जल विवाद अभिकरण द्वारा अधिसूचित पंचाट के माध्यम से प्रदेश को आवंटित 18.25 करोड़ एमएएफ जल का वर्ष 2024 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु संकल्पित है।

मध्यप्रदेश में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए राज्य जलवायु परिवर्तन एवं ज्ञान प्रबंधन केन्द्र स्थापित किया गया है और ऐसे केन्द्र की स्थापना करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के हर नागरिक के विकास और कल्याण के साथ-साथ पशु, पक्षियों एवं वन्य-प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कृत संकल्पित है। प्रदेश की जैव विविधता की सुरक्षा करने और उसे निरंतर बढ़ावा देने के फलस्वरूप टाईगर स्टेट के साथ-साथ अब मध्यप्रदेश को लेपर्ड स्टेट का दर्जा भी हासिल हो गया है। तेन्दुओं की संख्या के आधार पर मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर हैं। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से मध्यप्रदेश घड़ियालों की दृष्टि से देश के सबसे अनुकूल राज्यों में से एक बन गया है।

वर्तमान में प्रदेश में घड़ियालों की संख्या लगभग एक हजार 900 हो गयी है। इसी प्रकार भारत में गिद्ध की कुल 9 प्रजातियों में से 7 प्रजातियाँ मध्यप्रदेश में पायी जाती हैं और अब राज्य में इनकी संख्या लगभग 8 हजार 500 हो गयी है। ये राज्य सरकार की वन्य-प्राणी हितैषी नीतियों का ही सुखद परिणाम है।

किसान प्रदेश के अन्नदाता और भाग्य-विधाता हैं। सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अच्छे उत्पादन के चलते इसी साल हमने 16 लाख किसानों से एक करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का समर्थन मूल्य पर उपार्जन करके एक नया इतिहास रचा है और मध्यप्रदेश इस मामले में देश का नंबर वन राज्य बना। उपार्जन कार्य की अविस्मरणीय सफलता को एक बार पुनः दोहराते हुए प्रदेश में धान के उपार्जन का कार्य सफलता से संपादित किया गया है। अब तक 5 लाख 86 हजार से अधिक किसानों से 37 लाख 27 हजार मीट्रिक टन से अधिक का धान उपार्जित किया जा चुका है। इसी प्रकार 42 हजार 400 से अधिक किसानों से 2 लाख 24 हजार मीट्रिक टन से अधिक ज्वार एवं बाजरा समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। गेहूँ, धान एवं अन्य फसलों के उपार्जन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अब तक 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गयी है।

राज्य शासन द्वारा 32 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया, जिनमें से 14 लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई तथा 18 लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य प्रथम बार सम्मिलित किए गए हैं।

हमारी सरकार ने शपथ लेते ही किसानों की चिंता की और सबसे पहले पुराने वर्षों की बकाया प्रीमियम राशि 22 सौ करोड़ रुपयों का भुगतान किया। इस कारण प्रदेश के किसानों को 3 हजार 200 करोड़ रुपये की दावा राशि का भुगतान संभव हो सका। अब तक किसानों को बीमा राशि के रूप में 8 हजार 699 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इस वर्ष खरीफ 2020 के दौरान प्रदेश में हुई अति-वृष्टि और कीट व्याधि के कारण 35 लाख 50 हजार से अधिक किसानों को फसलों को हुए नुकसान की राहत राशि का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है ताकि किसानों को क्षतिपूर्ति शीघ्र प्राप्त हो सके।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रारंभ से अब तक प्रदेश के लगभग 77 लाख किसानों को कुल 6 हजार 815 करोड़ रुपये की सम्मान निधि का भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की है।

इस योजना में हम सभी पात्र किसानों को वर्ष में 4 हजार रुपये का भुगतान 2 समान किश्तों में कर रहे हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6 हजार और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 4 हजार–यानि प्रदेश के प्रत्येक पंजीकृत किसान को साल भर में 10 हजार रुपये की निश्चित आमदनी प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हमने अब तक 17 लाख 50 हजार किसानों के खातों में 350 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की है और यह क्रम तब तक निरंतर जारी रहेगा, जब तक कि प्रत्येक पात्र किसान को येाजना का लाभ नहीं मिल जाता।

देश में कृषि अधोसंरचना की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई है। भारत सरकार के इस विशेष फण्ड में से राज्य को लगभग 7 हजार 500 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हो रही है। मध्यप्रदेश, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी है। इस निधि के माध्यम से पूरे प्रदेश में कृषि अधोसंरचना का जाल बिछाया जाएगा।

हमारी सरकार प्रदेश में किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान कर रही है और अब तक इस वित्तीय वर्ष में 12 हजार 578 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण किया जा चुका है। लगभग 63 हजार किसानों, पशुपालकों, मछलीपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड तैयार कर वितरित किये जाकर 177 करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरित किया गया है। आत्मनिर्भर-मध्यप्रदेश के अंतर्गत प्रदेश में सब्जी, फल और फूलों के देश-विदेश में विपणन की व्यवस्था हेतु अधोसंरचना का विकास किया जायेगा। किसानों के कल्याण एवं कृषि के विकास के लिए विगत 10 माह में 83 हजार करोड़ रुपये से अधिक के हितलाभ प्रदाय किये जा चुके हैं।

राज्य, कृषि के क्षेत्र में अब एक ऐसे नए युग में प्रवेश कर रहा है, जिसमें पहली बार खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के स्थान पर किसानों की आमदनी में वृद्धि को नीति एवं निर्णयों के केन्द्र में रखा गया है। राज्य अब आदान आधारित कृषि व्यवस्था से आगे बढ़कर तकनीक आधारित कृषि की ओर अग्रसर है, जिसके फलस्वरूप अब बाजार की मांग के अनुसार फसलें उगाकर खेती का विविधीकरण किया जा रहा है। किसान अब केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी भी बने, इस दिशा में सरकार तेजी से अवसरों का निर्माण कर रही है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अभिनव पहल करते हुए गायों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में 2 हजार 178 गौ-शालाओं के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए तथा 974 गौ-शालाओं हेतु एक हजार 168 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार की यह स्पष्ट सोच है कि प्रदेश की गौ-शालाएँ संसाधनों की दृष्टि से सम्पन्न एवं आत्मनिर्भर बने। इसी अनुक्रम में प्रदेश की 89 गौ-शालाओं में गोबर एवं गौ-मूत्र से विभिन्न उत्पादों जैसे- गोबर गैस, बॉयोगैस, गौ-काष्ठ, कंडे, दीये, कीट-नियंत्रक आदि का निर्माण एवं विपणन कार्य बड़े पैमाने पर प्रारंभ कर दिया गया है।

प्रदेश के 99 प्रतिशत जल-क्षेत्र में अब मछली पालन हो रहा है। मछुआरों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अब तक 78 हजार 628 मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुव्यवस्थित मत्स्य-विक्रय के लिए 8 थोक तथा 461 फुटकर मत्स्य-बाजार स्थापित किए गए हैं। निजी क्षेत्र में 29 हेचरियाँ तथा 23 फिश फीड मिल स्वीकृत की गई हैं। मत्स्योत्पादन तथा मछुआरों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है।

प्रदेश के सभी जिलों में भू-अभिलेख ऑनलाईन किए जाकर इण्टरनेट के माध्यम से खसरा नकल प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। अब किसान भू-अभिलेख पोर्टल पर घर बैठे 24 घण्टे में कभी भी अपनी भूमि के खसरे, नक्शे आदि की प्रति को देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक लगभग एक करोड़ 80 लाख भू-अभिलेख ऑनलाईन प्रदाय किए जा चुके हैं। कृषक खातेदारों को कृषि ऋण सरलता से प्राप्त हो, इस हेतु भूमि बंधक कराने की प्रक्रिया को सरल कर बंधक दर्ज करने की व्यवस्था ऑनलाईन कर दी गई है। अब तक एक लाख से भी अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। भूमि के डायवर्शन की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर ऑनलाईन पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया लागू कर दी गई है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजादी के बाद देश में पहली बार स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र के अधिकार अभिलेख तथा नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। आबादी क्षेत्र में भूमि के रिकार्ड न होने से आम जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब वे कृषि भूमि के समान ही आबादी की भूमि के अभिलेखों के आधार पर भूमि को बंधक रखकर बैंक से ऋण ले सकेंगे।

इस योजना के अंतर्गत सर्वे का कार्य 20 जिलों में प्रारंभ हो चुका है और अब तक 51 ग्रामों के 4 हजार 500 से अधिक अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। आगामी तीन वर्षों में प्रदेश के सभी ग्रामों में आबादी सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। पटवारियों के बस्ते का बोझ कम करते हुए प्रदेश के सभी पटवारियों को लेपटॉप प्रदान किए जाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। प्रदेश में किसान का सम्मान सुरक्षित है, किसान का स्वाभिमान सुरक्षित है, किसान की आमदनी सुरक्षित है, किसानों के हित सुरक्षित हैं, किसानों का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित है।

सरकार की नीति और नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला हक प्रदेश के गरीबों, वंचितों, शोषितों, कमजोर वर्गों, मजदूरों, दिव्यांगों और निराश्रितों का है। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिये अनवरत कार्य करना सरकार का राजधर्म है और सरकार इसके लिये सदैव संवेदनशील और तत्पर रही है।

गरीबों के कल्याण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना को पुनः प्रारंभ किया। संबल योजना गरीबों का सम्मान है, स्वाभिमान है। संबल योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि वो जन्म से पहले ही गरीब का हाथ थाम लेती है और जीवन पर्यन्त उसका साथ नहीं छोड़ती।

प्रसूति, प्रतिभा प्रोत्साहन, चिकित्सा, दुर्घटना, दिव्यांगता एवं अंत्येष्टि पर प्रदान की जाने वाली सहायता के परिणामस्वरूप यह योजना निर्धनों के लिए वरदान बनकर आई है। इस योजना के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में अब तक 61 हजार से अधिक हितग्राहियों को लगभग 457 करोड़ रुपये के हितलाभ दिए गए हैं।

प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लगभग 48 लाख 65 हजार वृद्धजनों, निराश्रितों, दिव्यांगों एवं कल्याणी बहिनों के बैंक खातों में इस वित्तीय वर्ष में 2 हजार 562 करोड़ रुपये की पेंशन राशि अंतरित की गई है। इन्हें पेंशन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही प्राप्त हो जाए, इसके लिए ''पेंशन आपके द्वार'' व्यवस्था प्रारंभ की गई है। प्रदेश में 6 लाख 60 हजार दिव्यांगजनों में से 5 लाख 45 हजार दिव्यांगजन के परिचय-पत्र बनाए जा चुके हैं और 82 प्रतिशत से अधिक परिचय-पत्र तैयार कर मध्यप्रदेश, देश में द्वितीय स्थान पर है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि गरीब की थाली किसी भी स्थिति में खाली न रहे। ''अन्न उत्सव'' कार्यक्रम के माध्यम से 25 श्रेणियों के नवीन पात्रता पर्चीधारी 6 लाख 46 हजार से अधिक परिवारों को अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

नशा किसी भी प्रकार का हो, वह नाश की जड़ है। प्रदेश सरकार ड्रग्स, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के नशे के नुकसान से प्रदेश की युवा पीढ़ी को बचाने के लिये प्रतिबद्ध है। इसीलिये एक ओर ड्रग्स-माफिया, शराब-माफिया आदि को कुचलने के लिये कड़ी कार्यवाही की जा रही है, वहीं दूसरी ओर नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता का सामाजिक संदेश देने के लिये प्रदेश में नशामुक्ति को जन-आंदोलन का रूप दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश जनजाति बहुल प्रदेश है और प्रदेश की जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिये सरकार प्रतिबद्ध है। अंग्रेजों से डटकर लोहा लेने वाले तथा जनजाति परंपरा और संस्कृति के प्रतीक जन-नायक बिरसा मुण्डा के जन्म-दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। जल, जंगल और ज़मीन पर जनजातियों का सहज एवं स्वाभाविक अधिकार है। राज्य सरकार द्वारा विगत 10 माह में अभियान चलाकर वन अधिकार के निरस्त पट्टों का पुनः परीक्षण कराया गया और इनमें से पात्र पाये गये 27 हजार से अधिक वनाधिकार पट्टे प्रदाय किये जा चुके हैं।

विशेष पिछड़ी जनजातियों-सहरिया, बैगा एवं भारिया की लगभग 2 लाख 22 हजार महिलाओं को 102 करोड़ रुपये की राशि आहार अनुदान के रूप में अंतरित की गई है।

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम 2020 लागू किया गया है, जिसके माध्यम से 15 अगस्त 2020 तक अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी भाई-बहनों को नियम विरुद्ध तरीके से दिए गए सभी ऋण और उसका ब्याज स्वत: माफ हो गए हैं। ऐसे ऋण के विरुद्ध बंधक रखी संपत्ति भी साहूकार को लौटानी होगी।

राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के कल्याण की दृष्टि से कई अहम फैसले लिए गए हैं। मध्यप्रदेश देव नारायण बोर्ड का गठन किया गया है तथा मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन कर आयोग को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भाँति शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को विकासखण्ड स्तर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 524 छात्रावास खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण के प्रावधानों का पूरा लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को शासकीय नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लियें राज्य सरकार कटिबद्ध है।

प्रदेश के रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका के लिये वरदान बनी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है।

पी. एम. स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब तक 2 लाख 23 हजार हितग्राहियों को 223 करोड़ रुपये की ऋण राशि का वितरण कर इस श्रेणी में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। इसी प्रकार राज्य की अभिनव पहल मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत अब तक 80 हजार 300 से अधिक हितग्राहियों को लगभग 80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।

सबको आवास प्रदान करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 3 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आवासों के माध्यम से 2 लाख 80 हजार तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के माध्यम से 9 हजार 475 करोड़ रुपये की अनुदान लागत से 03 लाख से अधिक हितग्राहियो के लिए अपने घर का सपना साकार हो गया है।

प्रदेश में इस वर्ष एक हजार 102 नवीन आँगनवाड़ी भवन निर्मित किए गए हैं। कुपोषण के कलंक को मिटाने के लिये प्रदेश में 6 माह से 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के 8 लाख 70 हजार कुपोषित बच्चों को सुगंधित पौष्टिक दूध प्रदाय का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसी प्रकार सुपोषित मध्यप्रदेश के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर गठित विभिन्न समूहों की सहभागिता से पोषण-सरकार की संकल्पना प्रारंभ की गई है। किशोरियों के बहुमुखी विकास के लिए उनकी सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर केन्द्रित ''पंख-अभियान'' प्रारंभ किया गया है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख 28 हजार से अधिक बालिकाओं को पंजीकृत कर 212 करोड़ रुपये के हितलाभ प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार एक लाख 53 हजार से अधिक बालिकाओं को 39 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति राशि अंतरित की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत इस वर्ष 39 हजार 600 से अधिक हितग्राहियों को 198 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है और मध्यप्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है।

आत्मनिर्भर-मध्यप्रदेश की संकल्पना में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कोविड काल में विद्यार्थियों के लिए अध्ययन एवं अध्यापन की बड़ी चुनौती को हमने अवसर में बदला और विभिन्न माध्यमों से संक्रमण रहित एवं सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निरंतर उपलब्ध कराई गई।

राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिये कृत संकल्पित है और इसी दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाते हुए 10 हजार सर्वसुविधायुक्त शासकीय विद्यालयों को प्रारंभ करने की ''सी.एम. राईज योजना'' प्रारंभ की गई है।

इसी प्रकार प्रदेश के 75 नवीन महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण एवं 200 महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना का उन्नयन कर वहाँ वर्चुअल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम एवं डिजिटल रिपोजिटरी की स्थापना की जा रही है।

प्रदेश में विगत दस माह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, घुमक्कड़-अर्ध घुमक्कड़ तथा विमुक्त जाति एवं अन्य सभी पात्र 61 लाख 82 हजार छात्र-छात्राओं को 527 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियाँ तथा 66 लाख स्कूली छात्र-छात्राओं को मध्यान्ह भोजन हेतु 400 करोड़ रुपये का खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया गया है।

मध्यप्रदेश में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं विश्व-स्तरीय सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 14 खेलों में विगत 2 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 424 पदक तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 41 पदक प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। वर्ष 2020 में हमारी सरकार ने राज्य स्तरीय खेल अलंकरण समारोह को पुनः प्रारंभ किया है। राज्य सरकार प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारकर उन्हें विश्व-स्तरीय सुविधाओं के साथ हर खेल में विजय के लिये तैयार करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आयुष्मान-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत एक करोड़ 99 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड का निर्माण कर मध्यप्रदेश, संख्या के आधार पर देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में प्रत्येक पात्र परिवार के कम से कम एक सदस्य का कार्ड अब बन चुका है। इन्दौर तथा रीवा में नव निर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को जन सेवा में समर्पित किया गया है। भविष्य में भी प्रदेश के अन्य जिलों में इसी प्रकार के सर्वसुविधायुक्त अस्पतालों के निर्माण की योजना है। प्रदेश के मण्डलेश्वर, नरसिंहपुर एवं इन्दौर में 20 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से 50 बिस्तरीय आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश का पहला शासकीय आयुष वेलनेस सेन्टर इन्दौर में प्रारंभ किया गया है जहाँ विश्व-स्तरीय आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रदेश में रोज़गार और स्व-रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख ध्येय है. हाथों में हुनर आ जाए तो हमारे युवा स्वयं का कार्य प्रारंभ करके राष्ट्र की अनमोल मानव-संपदा बन जाते हैं। उद्योगों और निजी क्षेत्रों को भी बड़े पैमाने पर कुशल मानव-संसाधन की आवश्यकता है और इसीलिये कौशल उन्नयन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विगत 10 माह में प्रदेश के लगभग 95 हजार युवाओं को कौशल विकास के लिये रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है। भोपाल में विश्व-स्तरीय ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 6 हजार युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान कर रोज़गार के अवसर निर्मित किए जायेंगे। प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को सुसज्जित और सर्वसुविधायुक्त बनाकर समय की मांग के अनुरूप आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है।

वर्ष 2020-21 में प्रदेश में 17 वृहद उद्योग स्थापित हुए, जिनमें एक हजार 231 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश एवं 4 हजार 800 से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार मिला है। कोरोना काल में प्रारंभ किए गए रोज़गार सेतु पोर्टल के माध्यम से अब तक लगभग 44 हजार 600 से अधिक कुशल श्रमिकों को स्थाई रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त रोज़गार मेलों के माध्यम से 2 हजार 300 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत एक लाख 44 हजार से अधिक युवाओं को नियोजन के अवसर प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर प्रतिमाह रोज़गार मेलों के आयोजन का निर्णय लिया गया है।

जहाँ तक अकुशल श्रमिकों को रोज़गार का विषय है, इस वर्ष कोविड की विपरीत परिस्थितियों में भी मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। प्रदेश में मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 34 लाख नवीन श्रमिकों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत लगभग 94 लाख 60 हजार श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करते हुए 28 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जो मध्यप्रदेश के इतिहास में अब तक के सर्वाधिक है। वर्तमान में सर्वाधिक श्रमिकों का नियोजन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्यप्रदेश, देश में द्वितीय स्थान पर है।

प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग हेतु ''एक जिला-एक उत्पाद'' योजना के अंतर्गत सभी जिलों में विशिष्ट उत्पादों का चयन कर लिया गया है। इन उत्पादों को विश्व की प्रतिष्ठित ई-कामर्स कंपनियों के पोर्टल से भी लिंक किया जायेगा।

स्व-सहायता समूह हमारे प्रदेश की शक्ति हैं। नारी, नारायणी कहलाती है और प्रदेश की महिलाओं के स्व-सहायता समूहों ने इस उक्ति को सार्थक कर दिया है।

महिलाओं के स्व-सहायता समूहों ने पिछले 10 माह में कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी जिस प्रकार आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया है, वह निश्चय ही चमत्कारिक है। कोविड-19 के दौरान स्व-सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा एक करोड़ 25 लाख से अधिक मास्क, एक लाख 17 हजार से अधिक पी.पी.ई. किट, एक लाख लीटर से अधिक सेनिटाईजर, 19 हजार लीटर से अधिक हेण्डवाश तथा 2 लाख 50 हजार साबुन बनाकर वितरित किए गए। स्व-सहायता समूहों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 4 लाख 45 हजार क्विंटल गेहूँ का उपार्जन किया गया है। प्रदेश के 48 जिलों में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से विद्यार्थियों के गणवेश निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसके माध्यम से समूह सदस्यों द्वारा एक करोड़ 25 लाख 60 हजार स्कूल यूनिफार्म की आपूर्ति की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक 3 लाख 42 हजार से अधिक परिवारों को 31 हजार 600 से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से कम दरों पर ऋण प्रदाय करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 73 हजार 600 से अधिक समूहों को 984 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।

स्व-सहायता समूहों को ऋण स्वीकृति में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। स्व-सहायता समूहों के उत्पादक समूह बनाकर उनकी आजीविका को और सुदृढ़ किया जा रहा है। अब तक 378 उत्पादक समूहों में 8 हजार 500 से अधिक सदस्यों को जोड़ा जा चुका है। राज्य सरकार स्व-सहायता समूहों को जन-आंदोलन का रूप दे रही है और हमारे समूहों का सशक्त और समृद्ध बनने की दिशा में बढ़ता उल्लास व आत्म-विश्वास सचमुच देखते ही बनता है।

देश के हृदय प्रदेश के रूप में मध्यप्रदेश की पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान को विस्तार देने की दिशा में परिणाममूलक प्रयास किए गए हैं। पर्यटकों के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ठहरने के अनुभवों को अविस्मरणीय बनाने के लिये विभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं। चिन्हित पर्यटन स्थलों पर पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए जल महोत्सव, मानसून मैराथन, साईकिल सफारी एवं हेरिटेज वॉक जैसे आयोजन किए गए हैं। पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से प्रदेश में लगभग 20 हजार स्थानीय लोगों को रोज़गार मिला है।

प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में बफ़र में सफ़र तथा नाईट सफ़ारी जैसी सुविधाएँ भी प्रारंभ की गई हैं। इस रीति के लागू होने से प्रदेश में स्थित नेशनल पार्कों के बफ़र ज़ोन में विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ प्रारंभ की जा सकेंगी और स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।

बफ़र में सफ़र के अंतर्गत दिन में वाहन सफ़ारी हॉट एयर बैलून, नाईट सफ़ारी, बफ़र क्षेत्र में केम्पिंग, पैदल ट्रेकिंग, रात्रि में मचान से वन्य-प्राणियों का अवलोकन, तारामंडल अवलोकन, साइकिलिंग, नौकायन, हाथी पर बैठकर वन भ्रमण एवं हाथी दर्शन एवं अन्य समुदाय आधारित गतिविधियाँ की जा सकेंगी।

राज्य शासन कर्मचारियों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय किश्त का एक भाग प्रदान किया गया है। कोविड के दौरान वित्तीय मितव्ययता की दृष्टि से अस्थायी रूप से रोके गये वेतनवृद्धि आदि के लाभ भी दिये जायेंगे।

आसमां में सर उठाकर, घने बादलों को चीर कर

रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।

दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर

घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है।

विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर

सपनों को साकार करने, अभी तो सूरज उगा है।

ये उम्मीदों, उत्साह, उल्लास, उमंग और उत्थान का नया दौर है। मन में एक ही ज़ज्बा-जोश-जुनून और जिजीविषा है कि मध्यप्रदेश को हर क्षेत्र में देश का नंबर वन राज्य, सबसे अग्रणी राज्य, सबसे विकसित राज्य बनाना है। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हर नागरिक को भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप समान अवसर इस प्रकार प्रदान किए जाएं ताकि वो अपनी क्षमताओं का विकास कर बुलंदियों को छू लें। सरकार का एक ही लक्ष्य और एक ही संकल्प है कि आत्मनिर्भर-मध्यप्रदेश का निर्माण करने के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। इसके लिए ''गण'' और ''तंत्र'' दोनों को एक साथ मिलकर प्रयत्नों की परिसीमा करनी होगी, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी। तभी हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर-मध्यप्रदेश की भूमिका को सही मायने में सार्थक कर पायेंगे।

संभव की सीमा को जानने का एक ही तरीका है-
असंभव से भी आगे निकल जाना।

तो आइए, हम सब 72 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समरस, स्वावलंबी, समावेशी, सबल, सुशासित एवं समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लें। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब खुशहाल हों, सबका विकास हो, सबका कल्याण और सबका मंगल हो-आइए, इसी शुभ भावना के साथ मध्यप्रदेश के नव-निर्माण का दीप जलायें।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

जय हिंद-मध्यप्रदेश